न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या: 101/2025(जी.सी.एम.एस. 2025/133)

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. सुरेन्द्र कुमार पुत्र भीमराज जाति जाट निवासी 4 एफ सी तहसील श्रीकरणपुर। 2. इन्द्रजीत सिंह पुत्र हुकमचन्द जाति जाट निवासी 4 एफ सी तहसील श्रीकरणपुर। 3. रामकौरी पत्नी हुकमचन्द जाति जाट निवासी 4 एफ सी तहसील श्रीकरणपुर।		1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार श्रीकरणपुर।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू 02.02.2024

उपस्थित:1. श्री मनीष जागिंड अधिवक्ता वादीगण

---निर्णय---

दिनांक:04.07.2025

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम 4 एफ सी, पटवार हल्का मुकन बी, भू.अ.नि. जोरावरसिंहपुरा, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 61/126 के मुरब्बा नम्बर 49 की कुल 1.265 हैक्टेयर, खाता संख्या 109/129 के मुरब्बा नम्बर 31, 49 की कुल 8.245 हैक्टेयर भूमि, वादीगण के नाम से सहखातेदारान के रूप में दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। वादीगण ने आपसी सहुलियत के अनुसार सहमति से घरू वाहमी बंटवारा किया हुआ है। घरू वाहमी बंटवारानामा अनुसार ही वादीगण अपने-अपने रकबा पर पिछले काफी समय काश्त करते आ रहे है। वादीगण अपने-अपने रकबा पर काबिज अवश्य है। लेकिन कब्जा काश्त के अनुसार रकबा अंकित नहीं है। हालांकि वादीगण ने कब्जा काश्त की भूमि को काफी मेहनत से भूमि को समतल करके, उसमें कई सुविधाओ का निर्माण किया है। वादीगण की भूमि संयुक्त खाता में दर्ज होने के कारण कृषि भूमि को हिस्सा, ठेका पर काश्त करवाने, पानी की बारी बंधवाने, कृषि भूमि पर बैंक ऋण आदि प्राप्त करने, कृषि भूमि पर प्राप्त होने वाली राज्य सरकार/केन्द्र सरकार से अनुदान राशि, मुआवजा राशि इत्यादि प्राप्त करने अन्य विभिन्न समस्याओं से झूजना पड़ता है। इस कारण वादी मुताबिक दस्तावेजो के आधार पर घोषणात्मक अनुतोष का वाद पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर रहा है। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वादपत्र पेश कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 4 एफ सी, पटवार हल्का मुकन बी, भू.अ.नि. जोरावरसिंहपुरा, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 61/126 के मुरब्बा नम्बर 49 की कुल 1.265 हैक्टेयर, खाता संख्या 109/129 के मुरब्बा नम्बर 31, 49 की कुल 8.245 हैक्टेयर भूमि में से वादीगण को घरू वाहमी बंटवारानामा में प्राप्त भूमि का अलग से लगान व खाता कायम किए जाने के आदेश दिए जावे।
2. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। जवाब स्टेट पेश नहीं होने पर बन्द किया गया। वादीगण अधिवक्ता के द्वारा निवेदन किया कि प्रकरण में प्रतिवादी की तलवी हो चुकी है। इसलिए जवाब स्टेट बन्द किया जाकर मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड अंतिम डिक्री जारी किये जाने के आदेश दिये जावे।
3. पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वादपत्र मय शपथप एवं दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः वादीगण राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार काश्तकार है। लिहाजा वादीगण अपनी आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स राजस्व रिकॉर्ड दर्ज भूमि अनुसार तकासमा चाहते है। लिहाजा वादीगण के हिस्से की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवारा की अंतिम डिक्री जारी कर बंटवारा करवाया जाना उचित समझते है।

-:आदेश:-

अतः अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी इस अमर की जारी की जाती है। कि राजस्व ग्राम 4 एफ सी, पटवार हल्का मुकन बी, भू.अ.नि. जोरावरसिंहपुरा, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 61/126 के मुरब्बा नम्बर 49 की कुल 1.265 हैक्टेयर, खाता संख्या 109/129 के मुरब्बा नम्बर 31, 49 की कुल 8.245 हैक्टेयर भूमि में से वादीगण के हिस्से का बंटवारा अर्थात विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है:-

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

Scanned with OKEN Scanner

सुरेन्द्र कुमार आदि बनाम राजस्थान सरकार
वाद पत्र अंतर्गत धारा 53,88,91 आरटीए,
प्रकरण संख्या 101/2025

नाम खातेदारान मय वल्दियत सकूनत	राजस्व ग्राम	मु.न.	किला न.	रकबा	किस्म	लगान रुपए में
सुरेन्द्र कुमार पुत्र भीमराज जाति जाट निवासी 4 एफ सी तहसील श्रीकरणपुर। (1.265 हैक्टेयर)	4 एफ सी	49	1	0.022 हैक्टेयर	नहरी	0.15
			2	0.025 हैक्टेयर	नहरी	0.17
			3	0.242 हैक्टेयर	नहरी	1.67
			8	0.241 हैक्टेयर	नहरी	1.67
			13	0.241 हैक्टेयर	नहरी	1.67
			18	0.241 हैक्टेयर	नहरी	1.67
			23	0.253 हैक्टेयर	नहरी	1.75
इन्द्रजीत सिंह पुत्र हुकमचन्द जाति जाट निवासी 4 एफ सी तहसील श्रीकरणपुर। (6.323 हैक्टेयर) रामकौरी पत्नी हुकमचन्द जाति जाट निवासी 4 एफ सी तहसील श्रीकरणपुर। (1.922 हैक्टेयर)	4 एफ सी	31	1 ता 23	5.819 हैक्टेयर	नहरी	40.25
			24	0.252 हैक्टेयर	नहरी	1.74
			25	0.252 हैक्टेयर	नहरी	1.74
		49	1	0.205 हैक्टेयर	नहरी	1.42
			2	0.228 हैक्टेयर	नहरी	1.58
			3	0.011 हैक्टेयर	नहरी	0.08
			8	0.012 हैक्टेयर	नहरी	0.08
			9	0.253 हैक्टेयर	नहरी	1.75
			10	0.227 हैक्टेयर	नहरी	1.57
			11	0.228 हैक्टेयर	नहरी	1.58
			12	0.253 हैक्टेयर	नहरी	1.75
			13	0.012 हैक्टेयर	नहरी	0.08
			18	0.012 हैक्टेयर	नहरी	0.08
			19	0.253 हैक्टेयर	नहरी	1.75
			20	0.228 हैक्टेयर	नहरी	1.58

शेष खाते एंव रहन बदस्तूर रहेगें। स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतर/ लेख भण्डार जमा हो।

{श्योराम (आर.ए.एस.)}
सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

निर्णय आज दिनांक 04.07.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सर इजलास सुनाया गया।

{श्योराम (आर.ए.एस.)}
सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

सुरेन्द्र कुमार आदि बनाम राजस्थान सरकार
धारा अन्तर्गत 53, 88, 91 आरटीए मुकदमा नम्बर 101/2025
निर्णय दिनांक :-04.07.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादीगण अधिवक्ता श्री मनीष जांगिड** के पेश होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादीगण विरूद्व प्रतिवादी इस अमर की जारी की जाती है। कि राजस्व ग्राम 4 एफ सी, पटवार हल्का मुकन बी, भू.अ.नि. जोरावरसिंहपुरा, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 61/126 के मुरब्बा नम्बर 49 की कुल 1.265 हैक्टेयर, खाता संख्या 109/129 के मुरब्बा नम्बर 31, 49 की कुल 8.245 हैक्टेयर भूमि में से वादीगण के हिस्से का बंटवारा अर्थात विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है:-

	नाम खातेदारान मय वल्दियत सकूनत	राजस्व ग्राम	मु.न.	किला न.	रकबा	किस्म	लगान रुपए में
1	सुरेन्द्र कुमार पुत्र भीमराज जाति जाट निवासी 4 एफ सी तहसील श्रीकरणपुर। (1.265 हैक्टेयर)	4 एफ सी	49	1	0.022 हैक्टेयर	नहरी	0.15
				2	0.025 हैक्टेयर	नहरी	0.17
				3	0.242 हैक्टेयर	नहरी	1.67
				8	0.241 हैक्टेयर	नहरी	1.67
				13	0.241 हैक्टेयर	नहरी	1.67
				18	0.241 हैक्टेयर	नहरी	1.67
				23	0.253 हैक्टेयर	नहरी	1.75
2	इन्द्रजीत सिंह पुत्र हुकमचन्द जाति जाट निवासी 4 एफ सी तहसील श्रीकरणपुर। (6.323 हैक्टेयर) रामकौरी पत्नी हुकमचन्द जाति जाट निवासी 4 एफ सी तहसील श्रीकरणपुर। (1.922 हैक्टेयर)	4 एफ सी	31	1 ता 23	5.819 हैक्टेयर	नहरी	40.25
				24	0.252 हैक्टेयर	नहरी	1.74
				25	0.252 हैक्टेयर	नहरी	1.74
			49	1	0.205 हैक्टेयर	नहरी	1.42
				2	0.228 हैक्टेयर	नहरी	1.58
				3	0.011 हैक्टेयर	नहरी	0.08
				8	0.012 हैक्टेयर	नहरी	0.08
				9	0.253 हैक्टेयर	नहरी	1.75
				10	0.227 हैक्टेयर	नहरी	1.57
				11	0.228 हैक्टेयर	नहरी	1.58
				12	0.253 हैक्टेयर	नहरी	1.75
				13	0.012 हैक्टेयर	नहरी	0.08
				18	0.012 हैक्टेयर	नहरी	0.08
				19	0.253 हैक्टेयर	नहरी	1.75
				20	0.228 हैक्टेयर	नहरी	1.58

शेष खाते एंव रहन बदस्तूर रहेगें। बंटवारा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावे।

आज दिनांक 21.07.2025 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(श्योराम (आर.ए.एस.))
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

मुददई	रूपया	पैसा	मुदायली	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अरजी	00	--
स्टाम्प ड्यूटी	400	00	मेहनताना वकील पर	00	--
योग	404	00	योग	00	00

{श्योराम (आर.ए.एस.)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

Scanned with OKEN Scanner

दिनांकः 21.07.2025

क्रमांकः रीडर/ 2025/531

प्रतिलिपिः तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पा[लना कर]
पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

(श्री [illegible]) पदेन
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधि[कारी]
श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)